# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 16/351

रामकल्याण आत्मज मंडा जी जाति मीणा निवासी ग्रमा बुडिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 24.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2003 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कार्यालय उप जिला कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 23.07.2002 के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम पादडा तहसील के0 पाटन की आराजी खसरा नम्बर 423 की रकबा 0.23 हैक्टर भूमि सार्वजनिक नीलामी में कीमतन आवंटित की गई ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2003 के द्वारा आवंटी द्वारा आवंटन की 15 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाए जाने तथा बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 23.07.2002 निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2003 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित बकाया राशि जमा कराने का नोटिस अपीलान्ट को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ तथा अपीलान्ट ने किसी नोटिस को लेने से इंकार नहीं किया । रामस्वरूप अपीलान्ट के परिवार का सदस्य नहीं है । रामस्वरूप एवं अपीलान्ट पृथक–पृथक मकान में निवास करते हैं । दोनों के

बीच बोलचाल भी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने रामस्वरूप द्वारा नोटिस लेने के आधार पर अपीलान्ट को नोटिस की तामील होना मानकर उक्त आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही प्रार्थी की अनुपस्थिति में उक्त आदेश पारित कर दिया । अपीलान्ट को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31.05.2016 को हटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी नीलामी के द्वारा क्रय की थी और अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही आवंटन आदेश निरस्त कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । रामस्वरूप अपीलान्ट के परिवार का सदस्य नहीं है, अपीलान्ट और रामस्वरूप पृथक–पृथक मकान में रहते हैं । रामस्वरूप के द्वारा नोटिस नहीं लेने के आधार पर अपीलान्ट को नोटिस की तामील होना मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । रामस्वरूप नोटिस लेने के लिए अधिकृत नहीं था । इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है । अपीलान्ट बकाया राशि मय ब्याज के जमा कराने को तैयार है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31.05.2016 को पटवारी हल्का द्वारा देने पर हुई थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2003 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 1980 पेज 168, आरआरडी 1984 पेज 711 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि नीलामी के बाद बकाया राशि जमा कराने की जिम्मेदारी अपीलान्ट की ही थी । अपीलान्ट ने राशि जमा नहीं करवाई, सूचना देने के बावजूद राशि जमा नहीं करवाई है । उक्त अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अतः अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण के आधार पर भी सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2003 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आवंटन आदेश दिनांक 23.07.2002 की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार आवंटी को 25% राशि आवंटन के समय 15% एक माह में, 30% राशि दिनांक 26.06.2003 तक और शेष 30% राशि दिनांक 23.06.2004 तक जमा करवानी थी । आवंटी के द्वारा जब 15% राशि जमा नहीं करवाई गई तो उन्हें नोटिस दिया जाकर राशि

जमा नहीं होने पर अपीलाधीन आदेश से आवंटन आदेश को निरस्त किया गया है जिसके खिलाफ अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील वर्ष 2016 में पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे कि उन्हें विधि सम्मत तामील नहीं करवायी गई है तो भी आवंटन के उपरान्त आवंटन आदेश के अनुसार समय पर राशि जमा करवाना उनकी जिम्मेदारी थी । नीलामी बोली में उन्होंने स्वयं ने भाग लिया है और आवंटन आदेश दिनांक 23.06.2002 के अनुसार उनको 15% राशि एक माह के अन्दर जमा करवानी थी जो उन्होंने जमा नहीं करवायी है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से नीलामी आदेश को निरस्त किया है जो विधि सम्मत है । अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है एवं गुणावगुण के आधार पर भी सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने से एवं गुणावगुण के आधार पर भी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 07.03.2003 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा